



## बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन, लि०,

"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आर०ब्लॉक, रोड नं० २, पटना ८००००१

### कार्यालय आदेश

निगम के पत्रांक ३६२ दिनांक १२.०१.१८ द्वारा बिहार राज्य खाद्य निगम अन्तर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था। उक्त विज्ञापन के आलोक में विभिन्न पदों के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों पर स्थायी स्थापना समिति के अनुशंसा के आलोक में कॉलम २ में अंकित अभ्यर्थियों का औपबंधिक रूप से संविदा पर नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख कॉलम ७ में अंकित पद हेतु अगले ११ माह के लिए नियुक्त किया जाता है। सभी संबंधित अभ्यर्थियों को निदेश है कि वे पी०पी०ओ०/अंतिम वेतन प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ दिनांक १६.५.१८ तक योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। पूर्व में प्रस्तुत कागजातों में भिन्नता/त्रुटि पाये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

क्र० सं०	चयनित अभ्यर्थी का नाम	सेवा नि०का पद	सेवा नि० का कार्यालय	पुरुष/महिला	कोटि	पदनाम जिसके विरुद्ध चयन किया गया है
१	२	३	४	५	६	७
१	श्री रेहान हसन	वरीय लेखा लिपिक	जल संसाधन विभाग	पुरुष	अनारक्षित	लेखापाल
२	श्री विनोद कुमार	वरीय लेखापाल	महालेखाकार(ले०एवं ह०)पटना	पुरुष	अनारक्षित	लेखापाल

शर्तें-

- अभ्यर्थियों की तत्काल औपबंधिक रूप से इस शर्त के साथ नियुक्ति की जाती है कि उनके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों की सम्पुष्टि क्रम में कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है अथवा कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कारवाई भी की जा सकेगी।
- सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक १६.०५.१८ के पूर्वाहन तक निगम मुख्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे। इसके लिए किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
- सभी अभ्यर्थी द्वारा निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार एकतरनामा किया जायेगा।
- सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं० १०००० दिनांक १०.७.१५ के आलोक में मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
- उल्लिखित पद पर संविदा/अनुबंध के आधार पर नियोजन प्रथम चरण में ग्यारह माह के लिए होगी तथा आवश्यकतानुसार अवधि विस्तार किया जायेगा। कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं रहने अथवा क्षति/गबन पाये जाने पर इन्हें कोई बगैर कोई सूचना के कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।
- अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।
- इनके द्वारा की गयी क्षति/गबन की राशि की वसूली उनके मानदेय से की जायेगी एवं मानदेय से वसूली संभव नहीं होने की स्थिति में बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।
- अनुबंध की अवधि समाप्त के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति पुर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उसका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए किसी आदेश का निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
- इनके द्वारा संविदा पर निगम की सेवा छोड़ने के पूर्व निगम को एक माह का अग्रिम सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में उन्हें निगम को एक माह का मानदेय एक मुश्त भुगतान करना होगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में वह राशि बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन वसूलनीय होगी।

प्रबंध निदेशक के आदेश से।

१५/५-१८

महाप्रबंधक, सामान्य प्रशासन

१५/५-१८

(14)

ज्ञापांक-3.02.77.01.18 4574 /पटना,दिनांक-9/5/18  
प्रतिलिपि-सभी संबंधित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

महाप्रबंधक, सामान्य प्रशासन  
/पटना, दिनांक-9/5/18

ज्ञापांक-3.02.77.01.18 4576  
प्रतिलिपि-मुख्य महाप्रबंधक, अधिप्राप्ति/जन वितरण/मुख्य सतकता पदाधिकारी/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक/विपत्र लिपिक/प्रबंध निदेशक कोषांग, निगम मुख्यालय एवं सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

महाप्रबंधक, सामान्य प्रशासन  
/पटना, दिनांक-9/5/18

ज्ञापांक-3.02.77.01.18 4576  
प्रतिलिपि-अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

महाप्रबंधक, सामान्य प्रशासन  
/पटना, दिनांक-9/5/18

ज्ञापांक-3.02.77.01.18-4576  
प्रतिलिपि-प्रभारी नियंत्रण कक्ष, निगम मुख्यालय, पटना को निदेश है कि निगम के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि सफल अभ्यर्थियों को सूचना प्राप्त हो सके।

महाप्रबंधक, सामान्य प्रशासन